

**मांग संख्या 39**  
**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 1**

संचालनालय खाद्य हेतु डिक्रीधन के भुगतान हेतु रूपये 812 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस हेतु रूपये 8,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

07 जिला उपभोक्ता फोरम हेतु 30 कम्प्यूटर टेबल, 28 कम्प्यूटर कुर्सी तथा जिला फोरम रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा तथा राजनांदगांव हेतु 05 फैंक्स मशीन क्रय पर रूपये 2.65 लाख व्यय संभावित है । इसे नवीन मद में शामिल करने हेतु रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया गया है । यह विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत उपभोक्ता में जागरूकता लाने की योजना के अंतर्गत रूपये 20.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इस हेतु रूपये 100 का सांकेतिक प्रावधान किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 10000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु 100,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

नापतौल विभाग के सुदृढीकरण हेतु केन्द्र सरकार से चार वर्किंग स्टैंडर्ड बैलेंस क्रय हेतु 12.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 6408**

**मद क्रमांक 6**

पंचायतों को उचित मूल्य के दुकानों के संचालन के लिए ऋण दिये जाने हेतु राशि रूपये 195.42 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,95,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।